A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार यादव
आई.ए.एस.

अपील संख्या : 37 / 2018

महावीर प्रसाद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सारी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
— अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।
— रेस्पोडेन्ट

—

अपील अपीलार्थी राज0 खाद्य एवं अः आः पदार्थ(वित0 का विनि0) आदेश 1976 के खण्ड 22(1)(ए) में विभागीय प्रकरण संख्या 168 / 17 में आदेश व निर्णय श्रीमान् जिला रसद अधिकारी झुंझुनू दिनांक 08.01.2018 के विरूद्ध

उपस्थितः–

1. श्री प्रतापसिहं अभिभाषक– अपीलान्ट् की ओर से
2. श्री सुनिता शर्मा – विभागीय पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—

आदेश

दिनांक 01.05.2018

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू के निर्णय दिनांक 08.01.2018 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट् के अनुसार निम्नानुसार है। अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सारी तहसील चिड़ावा के लिए उ.मू.दु. आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा से राजस्थान सरकार द्वारा वितरक नियुक्त किया गया था। सैनिक कोटे से वरियता क्रम में राशन वितरक नियुक्त किया गया था। अपीलान्ट ओ.बी.सी. जाति में भी आता है। प्राधिकार पत्र क्रमांक 744 / 2000 दिनांक 01.06.2000 को जिला कलक्टर (रसद) द्वारा जारी किया गया था। अपीलान्ट सैनिक वरियता क्रम से नियुक्त हुआ था वर्तमान में सिनियर सिटीजन है। अनुशासित रहकर राशन वितरण किया है। राशन वितरण में किसी प्रकार की कभी भी 2000 से 2017 तक कोई भी गड़बड़ी व दुरूपयोग करने की शिकायत नहीं हुई ना हि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित या निरस्त हुआ। अपीलान्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वितरण में गड़बड़ी करने बाबत आरोपित और सज्जा याफता भी नहीं रहा है। अपीलान्ट कुछ माह से बीमार चल रहा था। बीमारी के कारण जिला रसद कार्यालय झुंझुनू में तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हो सका। अपीलान्ट के विरूद्ध उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया था जो एक पक्षीय निर्णय था। सुनवाई का मौका अपीलान्ट को नहीं मिला। इसलिए अपील की प्रस्थापना नियत समय में नहीं कर सका। निर्णय व नोटिस में अपीलान्ट के विरूद्ध शराब पीकर राशन सामग्री वितरण करने का लगाया है जो अनुचित है। अपीलान्ट ने वितरण कार्य के दौरान कभी भी नशा पता नहीं किया तथा न ही अपीलान्ट के विरूद्ध दस्तावेजी व पूछताछ सम्बन्धी बयान रिकार्ड पर है। कुछ ग्रामीण व्यक्ति अपीलान्ट से द्वेषता रखते है। शराब पीने के पैसा मांगते है। पैसा नहीं देने के कारण किसी ने कह दिया होगा। राजनीतिक द्वेष से हटाना चाहते है। टी.डी.आर. के निरीक्षण के दौरान वितरण दिवस में अपीलान्ट बीमार था वह दुकान पर उपस्थित नहीं था। परिवार के सदस्य वितरण कार्य कर रहे थे। राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई और न ही अभद्र व्यवहार उपभोक्ताओं के साथ करना प्रमाणित हुआ। अपीलान्ट का मेनजरिया आपराधिक प्रवृति का नहीं रहा है। वितरण आदेश 1976 के किसी खण्ड तथा निर्देश व प्राधिकार पत्र की अवहेलना नहीं की है। प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 की अवहेलना अनुशासित सिपाही होने के कारण कभी नहीं की है। शर्त संख्या 11 आवश्यक वस्तुओं के आवंटन की प्राप्ति, बिक्री, संग्रह आदि से सम्बन्धित है। इनकी कोई भी अवहेलना नहीं की है तथा न ही रिकार्ड के साक्ष्य से आरोप प्रमाणित हुये है। अतः आरोप जो

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A 4/2

निर्णय में लगाया है वह मनमर्जी से अनुचित व काल्पनिक है। अतः अनुतोष हेतु अपीलान्ट का निवेदन है कि जप्त सिक्योरिटी जप्ति से मुक्त की जावे तथा प्राधिकार पत्र बहाल किया जावें। प्रार्थी का मेनजरिया सद्भावनापूर्ण रहा है। वितरण आदेश 1976 के तहत कोई प्रमाणित आरोप नहीं है। वितरण व स्टॉक में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान नजीर अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट माह दिसम्बर में बीमार चल रहा था तथा बीमारी के कारण रसद अधिकारी के यहां उपस्थित नहीं हो सका। अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है। शराब का आरोप गलत है। अपीलान्ट के विरूद्ध इसकी बाबत कोई जांच, बयान या मेडिकल नहीं करवाया गया। स्वयं नायब तहसीलदार ने सपलाई सुचारू बताई है तथा केवल आदतन शराबी बताया है। अपीलान्ट के प्राधिकार की शर्ता का कोई उल्लघंन नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 08.01.2018 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि डीलर आदतन शराबी है। डीलर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो सिधे जनता से जुड़ी हुई है जिसमें ज्यादातर महिलायें राशन सामग्री प्राप्त करने आती है डीलर पर चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की गई है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 की अवहेलना करना पाये जाने पर सम्पूर्ण जमाशुदा प्रतिभूमि राशि जब्त राज कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरूद्ध पूर्व में भी न्याय आपके शिविर में आदतन शराबी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था। अतः अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। रिकार्ड अदालत मातहत का भी अवलोकन किया गया । अपीलान्ट आदतन शराबी है जो तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट से साफ जाहीर है। डीलर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो सिधे जनता से जुड़ी हुई है ऐसे में महिलाये राशन हेतु डीलर से राशन सामग्री प्राप्त करने आती है। जिससे वितरण प्रणाली पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। अतः अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू